[17/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 963]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 963
द्वारा मान0 विधायक श्री बाला बच्चन

परिशिष्ट 'अ'

प्रश्न क0 2863 के 'ख' के संदर्भ में ओमश्रीम डेवलपर्स द्वारा राशि लेकर पजेशन न देने निर्माण पूर्ण न करने के संबंध में थाना नीलगंगा पर वर्ष 2016 में आवेदक संजय वासवानी निवासी 12–बी गीता कॉलोनी, उज्जैन (राशि 1260000 रूपये), अभिषेक यादव निवासी 13/1 अथर्व बिहार कॉलोनी उज्जैन (राशि 100000 रूपये), शरद यादव निवासी 10/1 आदिनाथ कॉलोनी उज्जैन (राशि 500000 रूपये), संदीप यादव निवासी जैन कॉलोनी, नयापुरा उज्जैन (राशि 100000 रूपये), इन्द्रजीतसिंह पॅवार निवासी टाटानगर बाजना, बस स्टेण्ड रतलाम (राशि 817240 रूपये), विशाल कृष्णानी निवासी 16 सुभाषनगर (राशि 1550000 रूपये), संदीप शर्मा निवासी 83/9 विष्णुपरा उज्जैन (राशि 561940 रूपये), समस्त आवेदकों से कुल राशि 8189180 (एक्कीयासी लाख नवसी हजार एक सौ अस्सी रूपये) प्राप्त कर फ्लेटों की रजिस्ट्री नहीं करने एवं पजेशन नहीं देने की शिकायतें प्राप्त होने पर अनावेदक आरोपीगण विकास मित्तल, शरद मित्तल, उमा मित्तल, भावना मित्तल निवासीगण उज्जैन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 609/24–08–16 धारा 420,120–बी भादवि का पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकार अगस्त 2016 में आवेदक बलविंदरसिंह नील निवासी विवेकानन्द कॉलोनी सेक्टर कमांक सी मकान क्रमांक 314 उज्जैन में राशि 2000000 रूपये प्राप्त कर फ्लेट का कब्जा नहीं देने से संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध से अपराध कमांक 804/28–10–2016 धारा 420,406,120–बी भादवि का पंजीयन किया गया है। आवेदक मो० असलम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनावेदक नवनीतसिंह सिकरवार द्वारा शरद मित्तल, विकास मित्तल के साथ भागीदारी संशोधन का पूरक लेख का अनुबंध पत्र दिनांक 12–11–17 को निष्पादित किया गया है। जबकि आवेदक मो० असलम द्वारा वर्ष 2012 तक ओम श्रीम डेवलपर्स को फ्लेट हेतु राशि का भुगतान किया गया था। भागीदारी संशोधन अनुबंध पत्र के अनुसार नवनीतसिंह सिकरवार वर्ष 2017 से उक्त फर्म में भागीदार है एवं घटनाक्रम वर्ष 2012 का है। उक्त मामले में नवनीतसिंह सिकरवार के आपराधिक दायित्व को लेकर वैधानिक परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner